न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 458/2016

वादीगण :-

ब्राह्मण स्वर्णकार विकास संस्था जैतारण के प्रतिनिधिगण
1. नोरतमल पुत्र बद्रीनारायण
2. मनोज पुत्र मदनलाल
3. जगदीश पुत्र देवीलाल
जातिगण-सोनी ब्राह्मण, स्वर्णकार सोनी विकास संस्थान जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-
1. अमृतलाल पुत्र नेनूराम
2. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र नेनूराम
जाति सोनी नि. जैतारण
3. बींजाराम पुत्र जस्साराम
जाति सीरवी नि. गरनिया
4. मदनलाल पुत्र स्वरूपराम
5. मानाराम पुत्र स्वरूपराम
जाति सीरवी नि. गरनिया
6. हरिप्रसाद पुत्र सत्यनारायण
7. मुकेश पुत्र सत्यनारायण
8. घनश्याम पुत्र सत्यनारायण
9. दीपाराम पुत्र सत्यनारायण
10. विजयलक्ष्मी पत्नि सत्यनारायण
प्रति. सं. 8 घनश्याम नाबालिक कुदरति वलिया माता विजयलक्ष्मी जाति सोनी निवासी जैतारण
11. मिसरिया पुत्र बालू
जाति घांची, निवासी जैतारण
12. बिदामी बेवा गुदड़राम
13. रामप्रकाश पुत्र गंदड़राम
14. माणकराम पुत्र गुदड़राम
15. धर्माराम पुत्र गुदड़राम
जाति माली, माली सैनी समाज छात्रावास जैतारण जरिये प्रतिनिधि/अध्यक्ष निवासी आ.कालु
16. चुतराराम पुत्र घमण्डाराम
जाति माली, माली समाज छात्रावास जैतारण के प्रतिनिधि जैतारण
17. तहसीलदार जैतारण जिला-पाली।
18. भंवरीदेवी पत्नि नौरतमल
जाति सोनी नि. जैतारण
19. रामधाम के ट्रस्ट जैतारण के अध्यक्ष सन्त श्री भगतराम जी चेला सन्त श्री हेतमदास जी महाराज जैतारण

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.30/06/2016**

उपस्थितः. 1. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री चुतराराम भाटी एवं ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता प्रति0

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 29/06/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा अन्तर्गत धारा 53ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा- जैतारण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 10 व 12 से 16 के खरीद सुदा व प्रतिवादी संख्या 11 की पैतृक जमीन खसरा नम्बर 501 रकबा 26-07 बीघा किस्म बारानी द्वितीय की आई हुई है मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अपने अपने हिस्से माफिक वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज है मौके का नजरी नक्शा बनाकर दावा के साथ पेश किया जा रहा है। एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की नकल भी पेश की जा रही है जिसे दावा का एक भाग माना जावें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त भूमि में अपने हिस्से की जमीन में काश्त करते है राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नहीं होने से मांठ को लेकर विवाद रहता है कुछ प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की जमीन में पक्की चार दीवारी बना दी कुछ प्रतिवादीगण अपने हिस्से की जमीन के चारों तरफ पक्की दीवार बनाना चाहते है क्योंकि उक्त जमीन आबादी के पास होने से कांटों की बाड़ नहीं की जा सकती है। तथा अपने हिस्से की जमीन में सुधार करना चाहते है जमीन उबड़ खाबड़ होने से समतल करना चाहते है उक्त भूमि के खातेदार ज्यादा होने से तथा छोटे-छोटे हिस्से होने से आये दिन विवाद होता रहता है इसलिए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से अपने अपने हिस्से माफिक बंटवाड़ा करवाकर मुडा गड्डी करके लगान व खाता अलग अलग किया जाना जरूरी है। उक्त मुतनाजा भूमि डाक बंगला के पास होने व जयपुर जोधपुर सड़क के लगते ही उत्तर दिशा की तरफ होने से पास में जीवन बीमा निमग का ऑफिस होने से जमीन की कीमत बढ जाने से प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया है एक दुसरे हिस्से की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते है इसलिए बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व ट्रेश नक्शा में लाल स्याही से अपने अपने हिस्से माफिक तरमीम किया जाना जरूरी है। ताकि मौके पर कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सके। खसरा नम्बर 501 रकबा 26-07 बीघा का ट्रेश नक्शे में एक ही चक है अलग अलग वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से माफिक तरमीम नहीं होने से विवाद होता रहता है यदि राजस्व रेकर्ड में व नक्शें में तरमीम नहीं किया गया तो मौके पर लड़ाई टंटा होगा तथा विविध प्रकार के मुकदमें बाजी होगी। इसलिए मुतनाजा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाड़ा किया जावें। गुदड़राम पुत्र चुनाराम फौत होने से उनके कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 12 से 15 को पक्षकार बनाया गया है। एवं प्रतिवादी संख्या 17 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी होने से दावा बंटवाड़ा का होने तथा पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाये गये है। वादीगण का बिनाय दावा दिनांक 01/05/2016 को प्रतिवादीगण ने मुतनाजा भूमि का बंटवाड़ा करने से व राजस्व रेकर्ड के ट्रेश नक्शा में तरमीम करवाने से मना करने पर बमुकाम जैतारण में पैदा हुआ जो अदालत वाला के क्षैत्राधिकार में व वाद अन्दर म्याद पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक कैम्प जैतारण में पेश हुई। मजमा-ए-आम में वादीगण एवं प्रतिवादी उपस्थित हुए, को समझाईश की गई। प्रति0 संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त वाद में सभी बिन्दु स्वीकार किये हैं व माफिक दावा व राजस्व रेकर्ड में शामलाती भूमि का विभाजन कर दिया जावें, तो कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रार्थना पत्र सा0मि0 हो। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा में व्यक्त किया कि वाद में वर्णित खसरा नम्बरान् माफिक हिस्से अनुसार अपनी-अपनी आराजी का बंटवाडा कर दिया जाने का निवेदन किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, लिहाजा पक्षकारान् में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा- जैतारण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 10 व 12 से 16 व 18, 19 के खरीद सुदा व प्रतिवादी संख्या 11 की पैतृक जमीन खसरा नम्बर 501 रकबा 26-07 बीघा किस्म बारानी द्वितीय की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/534 दिनांक 12/05/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/1857 दिनांक 10/04/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्यायालय हाजा में पेश हुई। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-जैतारण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 10 व 12 से 16 व 18, 19 के खरीद सुदा व प्रतिवादी संख्या 11 की पैतृक जमीन खसरा नम्बर 501 रकबा 26-07 बीघा किस्म बारानी द्वितीय की भूमि की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	मिसरिया पुत्र बालु कौम घांची सा.देह खातेदार	501	10-03-00	बा.दो.	3.16
2	श्री ब्राह्मण स्वर्णकार विकास संस्था जैतारण पंजीकृत संस्था जरिये प्रतिनिधी सभा अध्यक्ष नौरतमल सोनी पुत्र बद्रीनारायण सोनी खातेदार	501/2	1-00-00	बा.दो.	0.31
3	माली सैनी समाज छात्रावास जैतारण के प्रतिनिधी चुतराराम पुत्र घमण्डाराम एवं गुदड़राम पुत्र चुनाराम माली खातेदार	501/3	2-00-00	बा.दो.	0.62
4	बींजाराम पुत्र जसाराम कौम सीरवी सा. गरनियां खातेदार	501/4	1-13-00	बा.दो.	0.51
5	मदनलाल भानाराम पुत्र स्वरूपराम कौम सीरवी सा. गरनियां खातेदार	501/5	1-13-00	बा.दो.	0.51
6	विजयलक्ष्मी पत्नी सत्यप्रकाश 25/66 भंवरीदेवी पत्नी नौरतमल 41/66 कौम सोनी सा.देह खातेदार	501/6	2-06-00	बा.दो.	0.71
7	रामद्वारा की भूमि	501/7	2-00-00	बा.दो.	0.62
8	अमृतलाल राजेन्द्रकुमार पिता नेनूराम कौम सोनी सा.देह खातेदार	501/8	5-12-00	बा.दो.	1.73

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक **29/06/2018** को राजस्व लोक अदालत सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

वादीगण :–

ब्राह्मण स्वर्णकार विकास संस्था
जैतारण के प्रतिनिधिगण

1. नोरतमल पुत्र बद्रीनारायण
2. मनोज पुत्र मदनलाल
3. जगदीश पुत्र देवीलाल
   जातिगण–सोनी ब्राह्मण,
   स्वर्णकार सोनी विकास
   संस्थान जैतारण तहसील
   जैतारण जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अमृतलाल पुत्र नेनूराम
2. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र नेनूराम
   जाति सोनी नि. जैतारण
3. बींजाराम पुत्र जस्साराम
   जाति सीरवी नि. गरनिया
4. मदनलाल पुत्र स्वरूपराम
5. मानाराम पुत्र स्वरूपराम
   जाति सीरवी नि. गरनिया
6. हरिप्रसाद पुत्र सत्यनारायण
7. मुकेश पुत्र सत्यनारायण
8. घनश्याम पुत्र सत्यनारायण
9. दीपाराम पुत्र सत्यनारायण
10. विजयलक्ष्मी पत्नि सत्यनारायण
    प्रति. सं. 8 घनश्याम नाबालिक
    कुदरति वलिया माता
    विजयलक्ष्मी जाति सोनी निवासी
    जैतारण
11. मिसरिया पुत्र बालू
    जाति घांची, निवासी जैतारण
12. बिदामी बेवा गुदड़राम
13. रामप्रकाश पुत्र गंदड़राम
14. माणकराम पुत्र गुदड़राम
15. धर्माराम पुत्र गुदड़राम
    जाति माली, माली सैनी समाज
    छात्रावास जैतारण जरिये
    प्रतिनिधि/अध्यक्ष निवासी आ.कालु
16. चुतराराम पुत्र घमण्डाराम
    जाति माली, माली समाज
    छात्रावास जैतारण के प्रतिनिधि
    जैतारण
17. तहसीलदार जैतारण जिला–पाली।
18. भंवरीदेवी पत्नि नौरतमल
    जाति सोनी नि. जैतारण
19. रामधाम के ट्रस्ट जैतारण के
    अध्यक्ष सन्त श्री भगतराम जी
    चेला सन्त श्री हेतमदास जी
    महाराज जैतारण

<u>राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0:458/2016

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा– जैतारण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 10व 12 से 16 व 18, 19 के खरीद सुदा व प्रतिवादी संख्या 11 की पैतृक जमीन खसरा नम्बर 501 रकबा 26–07 बीघा किस्म बारानी द्वितीय की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	मिसरिया पुत्र बालु कौम घांची सा.देह खातेदार	501	10-03-00	बा.दो.	3.16
2	श्री ब्राह्मण स्वर्णकार विकास संस्था जैतारण पंजीकृत संस्था जरिये प्रतिनिधी सभा अध्यक्ष नौरतमल सोनी पुत्र बद्रीनारायण सोनी खातेदार	501/2	1-00-00	बा.दो.	0.31
3	माली सैनी समाज छात्रावास जैतारण के प्रतिनिधी चुतराराम पुत्र घमण्डाराम एवं गुदड़राम पुत्र चुनाराम माली खातेदार	501/3	2-00-00	बा.दो.	0.62
4	बींजाराम पुत्र जसाराम कौम सीरवी सा. गरनियां खातेदार	501/4	1-13-00	बा.दो.	0.51
5	मदनलाल भानाराम पुत्र स्वरूपराम कौम सीरवी सा. गरनियां खातेदार	501/5	1-13-00	बा.दो.	0.51
6	विजयलक्ष्मी पत्नी सत्यप्रकाश 25/66 भंवरीदेवी पत्नी नौरतमल 41/66 कौम सोनी सा.देह खातेदार	501/6	2-06-00	बा.दो.	0.71
7	रामद्वारा की भूमि	501/7	2-00-00	बा.दो.	0.62
8	अमृतलाल राजेन्द्रकुमार पिता नेनूराम कौम सोनी सा.देह खातेदार	501/8	5-12-00	बा.दो.	1.73

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/06/2018 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	05-00	स्टाम्प वकालतनामा	04-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	01-00
स्टाम्प वजह सबूत	01-00	महनताना वकील	
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	06-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	–	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	13-00	मिजानः–	05-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।